भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 20 मार्च, 2026

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्या एडी (एए)-02/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "इनसोलुबल सल्फर" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे **'नियमावली'** या **'पाटनरोधी नियमावली'** कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, ओसीसीएल लिमिटेड (जिसे आगे **'आवेदक'** या **'घरेलू उद्योग'** कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे **'प्राधिकारी'** भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे **'संबद्ध देश'** कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'इनसालुबल सल्फर' (जिसे आगे **'संबद्ध वस्तु'** या **'विचाराधीन उत्पाद'** या **'पीयूसी'** कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29 (2) के अनुसार, जहाँ कोई वस्तु जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के अंतर्गत आयात की जाती है जिसे वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के रूप में माना जाता है, जिसके कारण वह शुल्क निष्प्रभावी हो जाता है या हो सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करते हुए समीक्षा करने के बाद पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप या आधार में संशोधन तथा/या पाटनरोधी शुल्क की राशि में परिवर्तन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य सहित आवेदन जो घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया हो, के आधार पर, समीक्षा करनी आवश्यक है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क, उसके समामेलन के कारण निष्प्रभावी हो गया है या हो सकता है।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जाँच अधिसूचना संख्या 6/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 मार्च 2024 के माध्यम से शुरू की गई थी। इस जाँच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 7 मार्च 2025 के अंतिम जाँच परिणाम फा.सं. 06/01/2024- डीजीटीआर के माध्यम से, चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून 2025 के माध्यम से अनुशंसित शुल्क लागू किए। उक्त शुल्क, जब तक कि किसी समीक्षा के अनुसरण में विस्तारित न किए जाएं, 6 जून 2030 तक प्रभावी रहेंगे। नीचे दी गई तालिका अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 जून 2025 के अनुसार लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का सारांश प्रस्तुत करती है:-

क्र. सं.	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (एमटी/अम.डा.)
1	चीन जन. गण.	चीन सहित कोई	कोई	307

		अन्य देश		
2	चीन और जापान से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	307
3	जापान	जापान	शिकोकू कैमिकल्स कार्पोरेशन	259
4	जापान	जापान सहित कोई अन्य देश	इनसाल्युबल सल्फर से इतर कोई	358
5	जापान और चीन से इतर कोई देश	जापान	कोई	358

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. 'विचाराधीन उत्पाद' जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, के कार्यक्षेत्र को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम फा. सं. 06/01/2024-डीजीटीआर में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था:

"2. विचाराधीन उत्पाद "इन्सॉल्युबल सल्फर" है, जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रूप में भी उल्लिखित किया गया है।

3. परिभाषा के अनुसार, इन्सॉल्युबल सल्फर एक बहुलक सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फाइड (सीएस2) में अघुलनशील है। इन्सॉल्युबल सल्फर का उपयोग आमतौर पर कुछ रबर अनुप्रयोगों में 'वल्कनीकरण एजेंट' के रूप में किया जाता है ताकि 'ब्लूमिंग' की समस्या को रोका जा सके, जो रबर कंपाउंड के लिए हानिकारक होती है।

4. इन्सॉल्युबल सल्फर एक महत्वपूर्ण रबर एडिटिव एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, घिसावट प्रतिरोध तथा थकान और पुराना होने के प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार करता है। सार्वभौमिक रूप से सर्वश्रेष्ठ वल्कनीकरण एजेंट के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ, इसका व्यापक रूप से टायर, ट्रीड, जूते, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबर पुर्जों और अन्य रबर उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अतः, अपने गैर-ब्लूमिंग गुण के कारण, इन्सॉल्युबल सल्फर का व्यापक रूप से उन रबर उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिनमें सामान्य सल्फर का उच्च अनुपात में उपयोग होता है। अंतिम-उपयोगकर्ता उद्योग के आधार पर, भारत में इन्सॉल्युबल सल्फर की

कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा टायर उद्योग में और शेष गैर-टायर उद्योग में उपयोग किया जाता है। माप की इकाई उत्पाद का वजन है जिसे किलोग्राम (किग्रा) में अंकित किया गया है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद का आयात टैरिफ मद 3824 99 00 के तहत भी किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।"

5. चूंकि वर्तमान आवेदन लागू पाटनरोधी शुल्क की 'पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी समीक्षा' है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।

ग. <u>समान वस्तु</u>

6. मूल जांच में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानकों के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु दोनों को प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता हुआ पाया गया है। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. <u>आवेदक</u>

7. वर्तमान आवेदन ओसीसीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु एक एकमात्र उत्पादक है। इसके अलावा आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है। नियमावली के अर्थ के भीतर आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करता है। रिकार्ड पर उपलब्ध

जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन नियम 29 के अनुसार दायर किया गया है।

ड़. **समीक्षा का दायरा**

8. वर्तमान समामेलन रोधी समीक्षा जॉच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों से संबंधित है।

च. **समामेलन समीक्षा जॉच के आधार**

9. आवेदकों ने दावा किया है कि वर्तमान समामेलन जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि यद्यपि वर्तमान समामेलन जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों और उपयोगिता दरों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ी है, इसके बावजूद संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत में वास्तव में गिरावट आई है।

10. आवेदक ने प्रथम दृष्टया सूचना भी दी है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाती है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम दृष्टया उत्पादन लागत में समानुपातिक कमी के बिना निर्यात कीमत में गिरावट को दर्शाती है, जो पाटनरोधी शुल्कों के समामेलन और इसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन में वृद्धि को दर्शाता है।

11. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर समामेलन रोधी समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान मामले में, पाटनरोधी उपाय 6 जून 2025 को लागू किए गए थे। समामेलन रोधी जाँच शुरू करने का अनुरोध करने वाला आवेदन पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अर्थात दिसंबर 2025 में दायर किया गया था। तथापि, आवेदक ने बाद में समामेलन की अवधि को *(जून 2025 - नवंबर 2025)* से अद्यतन कर *(जुलाई 2025 - दिसंबर 2025)* कर दिया।

छ. **समामेलन अवधि**

12. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ समामेलन की अवधि पर जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 (6 माह की अवधि) के रूप में विचार किया गया है। प्राधिकारी उक्त अवधि की कीमतों की तुलना मूल जॉंच की जॉंच अवधि की कीमतों के साथ करेंगे।

13. लागू कार्यढांचे की जांच करने पर यह नोट किया गया कि समामेलन-रोधी समीक्षा के लिए 12 माह की अनिवार्य जांच अवधि निर्धारित करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। तदनुसार, प्रस्तावित 6 माह की अवधि को वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त माना गया है।

ज. समामेलन-रोधी समीक्षा जॉंच की शुरुआत

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के उपरांत, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा नियमावली के नियम 30 के अनुसार, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप में संशोधन की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ समामेलन-रोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

15. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे केंद्र सरकार से नियम 31(3) के अनुसार, जांच शुरूआत होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप में संशोधन करने की सिफारिश करें। इस विषय पर हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

16. उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(5) के अनुसार इस समीक्षा के पूर्ण होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

झ. प्रक्रिया

17. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या चीन में निर्यात कीमत में गिरावट को उत्पादन लागत में गिरावट से और पाटन मार्जिन तथा

क्षति मार्जिन की परिणामी पुन: गणना से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29, 30 और 31 में यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान यथावश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी- एडी/एबीएस/22122025/03 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जॉच शुरूआत अधिसूचना के उक्त पैरा (18) में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढ़ग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीयूसी की पद्धति(यदि कोई हो), किसी अन्य चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. **समय-सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी-एडी/एबीएस/22122025/03 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

25. समय-सीमा बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफों में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्ष्ाकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष्ाकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

32. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

33. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

36. यदि कोई हितबद्ध पक्ष◌ाकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या समीक्षा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी